

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2013-14

कार्यपालन श्रेणी (परीक्षण) अथवा
म.प्र.प.डा.क.वि.री.का संभव

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम शिवेन्द्र कुमार मिश्रा 2. वर्तमान धारित पद संभालीय लेखापाल 3. कार्यालय का नाम
4. वर्तमान वेतन 5. भविष्य निधि क्रमांक 21887608 6. कर्मचारी संख्या 89530330

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1. शा.मं.पो. धनेवा	कचटा भग्गान	6 एकड़	14.50 लाख	पिता के नाम	पट्टा	-	
2. शा.मं.पो. धनेवा	कचटा भग्गान	0.87 एकड़ कृषिभूमि	3 लाख	स्वयं के नाम	वर्ष 1987 के क्रय	-	
3. अमरपुर सोसायटी का	पक्का भग्गान	3400 वर्ग फुट	25 लाख	स्वयं के नाम	वर्ष 1982 के पिता द्वारा क्रय	-	
4. शा.मं.पो. वडुशी कांदा		2.50 एकड़ कृषिभूमि	20 लाख	पत्नी के नाम	जून 2012 के क्रय	-	
5. शा.मं.पो. भिटवा		2.00 एकड़	7.70 हजार		मार्च 13 के क्रय	-	
6. शा.मं.पो. जोदहा कीला-सेक्टर 2		2.50 एकड़	6.57 हजार		फरवरी 13 के क्रय	NIL	स्वयं के नाम I.D.B. के बीना से कि 16 लाख लाख फाइनेंस हुआ है।
7. शा.मं.पो. कोटवा	रीवा	0.16 डिसेमर	24.81 हजार	स्वयं के नाम	2013/दिसम्बर के क्रय	-	

नोट: वर्ष 2012-13 के आयिक सप्लाइ विकरत द्वारा मेरी पत्नी के नाम 8.45 हजार रुपए खेप था, जिसके शा.मं. भिटवा से 2.00 एकड़ कृषि भूमि 7.70 हजार के क्रय किया गया है एवं शेष 6.45 के स्वयं की वचन से 6.57 हजार के 2.50 एकड़ कृषि भूमि शा.मं. जोदहा के क्रय किया है। वर्तमान में शा.मं. कोला के 16 डिसेमर कृषि भूमि 24.81 हजार के क्रय किया है जिसका पत्नीयक जहां लागू न हो काट दीजिए 27/12/2013 के डका है जो I.D.B. के 16 लाख फाइनेंस से सामग्री में खेप किया गया है। सभी निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अनुसार में लगभग मूल्य बतलाया जाए इसमें अल्पकालीन संपत्ति सम्मिलित है।

हस्ताक्षर शिवेन्द्र कुमार मिश्रा
 नाम शिवेन्द्र कुमार मिश्रा
 पद संभालीय लेखापाल अं.प्र. - 425
 कार्यालय - कार्यपालन श्रेणी (परीक्षण)
म.प्र.प.डा.क.वि.री.का संभव

श्रेणी-मंडल द्वारा ग्राह्य मंत्र-शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लांबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण

4838
 2013-14